चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती में ड्रेस कोड

बीकानेर, (कासं)। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से होने वाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती में आने वाले अभ्यर्थियों को जींस पहनकर आने पर परीक्षा केन्द्रों में प्रवेश नहीं दिया जायेगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नए और सख्त नियम लेकर आया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की इस गाइडलाइन का अगर पालन नहीं करेंगे तो परीक्षा से वंचित रह जायेंगे। यह परीक्षा 19 से 21 सितम्बर तक आयोजित की जायेगी। परीक्षा में नकल रोकने व पेपर लीक को रोकने के लिए बोर्ड प्रशासन ने यह फैसला किया है।

भाषाओं ने लोक संस्कृति तथा इतिहास को जिंदा रखा : दीक्षित

श्रीडूंगरगढ़, (कासं)। हिन्दी दिवस के अवसर पर राष्ट्रभाषा हिन्दी प्रचार समिति द्वारा आयोजित भव्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय के कुलगुरू आचार्य मनोज दीक्षित ने कहा कि भारतवर्ष का इतिहास प्रतिरोध का इतिहास है। इसमें यहां की भाषाओं का बड़ा योगदान रहा है। भाषाओं ने लोक और संस्कृति तथा इतिहास को जिंदा रखने का काम किया है।

उन्होंने हिन्दी और कृत्रिम बुद्धिमता विषय पर बोलते हुए कहा कि ए आई को भी संचालित कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही करता है पर वह डेटाबेस पर आधारित है। लेखन में विश्वसनीय नहीं कही जा सकती। ए आई का सीधा इस्तेमाल नहीं कर उसका सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाना आवश्यक है।

- **हिन्दी दिवस समारोह में साहित्यकारों को सम्मानित किया**

श्रीडूंगरगढ़ में हिन्दी दिवस समारोह को महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय के कुलगुरूकुलगुरू मनोज दीक्षित ने संबोधित किया।

कुलगुरू मनोज दीक्षित ने राष्ट्रभाषा हिन्दी प्रचार समिति के साहित्यिक कार्यों की प्रशंसा करते हुए भरोसा दिलाया कि वे आगामी दिनों में गंगासिंह विश्वविद्यालय से इसको किसी न किसी रूप में जोड़ने का कार्य करेंगे। भगवती पारीक की सरस्वती वन्दना से प्रारंभ हुए समारोह में मंत्री व संयोजक रवि पुरोहित ने संस्था की 65 वर्षीय विकास यात्रा साझा की। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए स्थानीय विधायक ताराचंद सारस्वत ने कहा कि हिन्दी एवं हमारी भारतीय संस्कृति दोनों अनुस्यूत है। एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए संस्कृति को बचाने के लिए हिन्दी को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सारस्वत ने इस बात पर भी बल दिया कि हमें हिन्दी के साथ-साथ दैनन्दिनी जीवन में स्वदेशी अपनाना चाहिए।

हिन्दी दिवस के अवसर पर 'हिन्दी और कृत्रिम बुद्धिमता- संभावनाएं और चुनौतियां' विषय पर आयोजित संगोष्ठी का विषय प्रवर्तन करते हुए महारानी सुदर्शना बालिका महाविद्यालय बीकानेर के पूर्व प्राचार्य डॉ. उमाकांत गुप्त ने त्रिस्तरीय एआई के प्रयोग समझाते हुए कहा कि एआई के आने से बहुत सी चीजें सरल हुई हैं तथा भाषा के स्तर पर देखें तो शोधार्थियों के लिए एआई ने संदर्भों को सुगम किया है।

हिन्दी दिवस के अवसर पर संस्था के सर्वोच्च सम्मान साहित्य श्री से डॉ. पद्मजा शर्मा को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि मैं अपना यह सम्मान अपनी कृतियों के पात्रों को समर्पित करती हूं। नंदलाल महर्षि स्मृति हिंदी सर्जन पुरस्कार जबलपुर के देवेंद्र कुमार मिश्रा, सुरेश कंचन ओझा लेखन पुरस्कार कुमार सुरेश, चंद्र मोहन हाड़ा हिमकर स्मृति पुरस्कार उपन्यास लेखक विश्वनाथ तंवर को प्रदान किया गया। रामकिशन उपाध्याय समाज सेवा पुरस्कार हरिशंकर बाहेती को प्रदत्त किया गया। बाहेती ने समर्पित राशि को दुगुना कर समिति को सौंपते हुए कहा कि इसे साहित्यिक व सेवा के कार्यों में खर्च किया जाए। शिव प्रसाद सिखवाल महिला लेखन पुरस्कार संगीता सेठी बीकानेर, शब्द शिल्पी सम्मान अजमेर के सुरेश कुमार श्रीचंदानी तथा श्याम सुंदर नगला बाल साहित्य पुरस्कार शाहजहांपुर के डॉ. नागेश पांडेय को समर्पित किया गया।

चितार समारोह 20 को

बीकानेर, (कासं)। राजस्थानी के लोक कवि धनंजय वर्मा की स्मृति में 20 सितम्बर को 'चितार' समारोह का आयोजन सुरभि साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान, अजित फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में अजित फाउंडेशन सभागार में सायं 5 बजे होगा। समारोह के संयोजक एवं सुरभि के अध्यक्ष गोविन्द जोशी ने बताया कि 'चितार' कार्यक्रम सुविख्यात समालोचक डॉ. उमाकांत गुप्त की अध्यक्षता में होगा। समारोह के मुख्य अतिथि देष के प्रसिद्ध व्यंग्यकार बुलाकी शर्मा और विशष्टि अतिथि संस्कृति कर्मी पृथ्वीराज रतनू होंगे। जोशी ने बताया कि समारोह के स्वागताध्यक्ष प्रख्यात शिक्षाविद् ओमप्रकाश सारस्वत देंगे। साथ ही मंच संचालन वरिष्ठ रंगकर्मी रोहित बोड़ा करेंगे। डॉ. अभय सिंह टाक ने बताया कि चितार कार्यक्रम में चार राजस्थानी साहित्यकारों जानकीनारायण श्रीमाली, रवि पुरोहित, राजेन्द्र स्वर्णकार एवं मनीषा आर्य सोनी को सम्मानित किया जायेगा।

फेमस होने के लिए युवक को बेल्ट से पीटा

बीकानेर, (कासं)। सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए 6 बदमाशों ने युवक को बेल्ट से पीटा। बाल खींचे और जमीन पर गिराया। आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बनाया, जिसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। मामला गजनेर के अक्कासर गांव का 12 सितम्बर का है। इसका वीडियो 14 सितम्बर को सामने आया है।

एसएचओ वीरेन्द्र सिंह ने बताया कि पीड़ित युवक ने एफआईआर दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया कि वह खेत में ट्यूबवैल पर काम करता है। 12 सितम्बर को देर शाम 7 बजे वह बाइक पर ट्यूबवैल से घर जाने के लिए रवाना हुआ था। इस बीच अक्कासर से गजनेर आने वाली लिंक रोड पर गौशाला के पास गौरीशंकर मेघवाल, त्रिलोक मेघवाल समेत तीन से चार अन्य युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया। गौरीशंकर ने उसकी बाइक की चाबी निकाली और उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। फिर बाल खींचकर उसे जमीन पर पलट दिया। उसने समझाना चाहा तो गौरीशंकर और त्रिलोक ने बेल्ट से उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। उनके साथ आये युवकों ने वीडियो बनाया। आरोपियों ने किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

- **सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए 6 बदमाशों ने युवक को बेल्ट से पीटा**
- **आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बनाया, जिसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया**

धोखाधड़ी का मामला दर्ज

अनूपगढ़, (कासं)। रायसिंहनगर में विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। गांव 54 एनपी के निवासी पंकज ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत दर्ज कराई है।

पंकज को विशाल विश्नोई और अनुज कुमार ने अनूपगढ़ के एक इमिग्रेशन सेंटर से जोड़ा। इस सेंटर के संचालक रजत, पवन और सुनील कुमार ने सिंगापुर भेजने का वादा किया। उन्होंने प्रति व्यक्ति 6 लाख रूपए की मांग की। पंकज ने फरवरी 2024 में 2 लाख रूपए नकद दिए। अप्रैल में दो किस्तों में 50 हजार रूपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। मई में दो बार में 1.30 लाख रूपए और दिए। कुल 3.80 लाख रूपए का भुगतान किया गया। जून 2024 के पहले सप्ताह में आरोपियों ने पंकज को दुबई का वीजा दिया। उन्होंने कहा कि दुबई से सिंगापुर भेज देंगे। पंकज को शक होने पर जांच करवाई तो वीजा फर्जी निकला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कांग्रेस सेवादल का संगठन प्रशिक्षण शिविर कल से शुरू

बीकानेर, (कासं)। कांग्रेस शहर और देहात सेवादल की ओर से संयुक्त रूप से 16 से 18 सितम्बर तक तीन दिवसीय संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन बीकानेर में किया जा रहा है।

सेवादल के जोन प्रभारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष कमल कल्ला ने बताया कि तीन दिवसीय यह आवासीय प्रशिक्षण शिविर बीकानेर में जस्सूसर गेट के अंदर सीताराम भवन में किया जायेगा। तीन दिनों तक इस पूरे आयोजन के लिए सीताराम भवन को सेवा आश्रम का रूप दे दिया जायेगा। तीन दिवसीय इस प्रशिक्षण शिविर में सम्पूर्ण जिले से 600 श्वेत सैनिक हिस्सा लेंगे। इस समस्त श्वेत सैनिकों को राष्ट्रीय स्तर के विचारक और ट्रेनर प्रशिक्षण देंगे। इस दौरान प्रतिदिन सबसे पहले सुबह ध्वज वंदन किया जायेगा। उसके बाद परेड होगी और श्वेत सैनिकों को व्यायाम करवाया जायेगा। प्रतिदिन इस प्रशिक्षण में बौद्धिक सत्रों के माध्यम से, देश और सेवादल का इतिहास, झंडा संहिता, मौजूदा राजनैतिक परिस्थितियों में लोकतंत्र की प्रासांगिकता और भविष्य के लिए और अधिक सुदृढ़ होकर राष्ट सेवा का समर्पण विषय पर प्रशिक्षण दिया जायेगा। साथ ही प्रतिदिन विभिन्न विषयों पर व्याख्यान होंगे। संगठन को सुदृढ़ बनाने के संदर्भ में भी प्रशिक्षण दिया जायेगा। गौरतलब है कि सेवादल कांग्रेस का अग्रिम संगठन है जो कांग्रेस के लिए श्वेत फौजी के रूप में काम करता है। सेवादल के सात मुख्य प्रोग्राम है। राष्ट्र निर्माण, संगठन निर्माण, जनसेवा, नेतृत्व निर्माण, चुनाव प्रबंधन, प्रचार प्रसार, प्रशासनिक संरचना पर प्रशिक्षण देंगे।

बाल विवाह रोकथाम की धर्मगुरूओं ने संभाली कमान

बीकानेर, (कासं)। राजस्थान महिला कल्याण मंडल बीकानेर की ओर से संचालित 'एक्सेस टू जस्टिस' कार्यक्रम के तहत श्रीकोलायत कपिल मुनि मन्दिर में बाल विवाह मुक्त विश्व की पहल पर वैश्विक अंतर धार्मिक सप्ताह 12 से 14 सितम्बर के तहत बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

राजस्थान महिला कल्याण मंडल जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के जिला समन्वयक अमित कुमार ने बताया के 12 से 14 सितम्बर के दौरान विश्व के सभी देशों के धर्मगुरू अपने-अपने धर्मों के अनुयायियों को बाल विवाह ना करने का संदेश दे रहे हैं। इसी कड़ी में बाल विवाह रोकथाम हेतु हुए इस प्रोग्राम में कपिल मुनि मंदिर कोलायत के मुख्य पुजारी महेन्द्र शर्मा द्वारा समाज को यह संदेश दिया गया कि सभी को मिलकर बाल विवाह को पूर्णतया भारतवर्ष से खत्म करना है।

जिस प्रकार से हमारे देश ने पोलियो पर काबू पाकर पोलियो मुक्त भारत का निर्माण किया है। उसी प्रकार हमें भारत से बाल विवाह को पूर्णता खत्म करना है।

धर्मगुरू ने सभी धर्म गुरूओं को यह संदेश दिया कि अगर सभी धार्मिक गुरु नाबालिग बच्चों की शादी ना करने का संदेश समाज मे देंगे तो पूर्ण रूप से भारत से बाल विवाह खत्म हो जायेगा।

जिला समन्वयक अमित कुमार ने मय टीम धार्मिक गुरुओं के साथ मिलकर सभी घाटों पर आए हुए श्रद्धालुओं को बाल विवाह ना करने व बाल विवाह की सूचना होने की सूचना प्रशाशन व बचपन बचाओ आंदोलन के टोल फ्री नम्बर 1800-1027-222 पर देने हेतु जागरूक किया। अभी भी देश में बाल विवाह के खिलाफ जरूरी जागरूकता की कमी है।

ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं है कि यह दंडनीय अपराध है। जेआरसी 2030 तक देश से बाल विवाह खत्म करने के मकसद से 'चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया' कैम्पेन चला रहा है।

संस्था की काउंसलर पिंकी जनागल द्वारा आई हुई सभी महिलाओं को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत करवाया व संस्था के रेड एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेटर बाबूलाल द्वारा पंपलेट बाँटकर बाल विवाह को खत्म करने हेतु लोगों को जागरूक किया।

प्रारूप-10(नियम6(7)देखिए)
कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ़

क्रमांक:1217 लोक सूचना दिनांक 13.9.25

श्री सुभाषचन्द पुत्र श्री मनफूलराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 14 पीलीबंगा जिला हनुमानगढ कि निचे अल्लिखित भूमि का गौर-कृषिक प्रयोजन (आवासीय) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	भूमि स्थान	क्षेत्र
तहसील सूरतगढ	कस्बा सूरतगढ	कस्बा सूरतगढ के खसरा सं.233मीन 2	0.911यानि 9110 वर्गमीटर

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज को जारी की गयी।

प्राधिकारी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ

राजस्थान आवासन मण्डल
RAJASTHAN HOUSING BOARD
(राज.आवा.मण्डल अधिनियम 1970 के तहत गठित राज्य सरकार का उपक्रम)
(A State Government Enterprise Constituted Under RHB Act 1970)
वृत-बीकानेर, Circle-Bikaner
क्रमांक:-उआआ/आरएचबी/बीका/2025-26/ 511 दिनांक :- 12/9/

आम सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल में श्री श्रवण परेवा पुत्र श्री कालूराम को आवासीय भूखण्ड आवंटन हेतु पंजीकरण करवाया था। आवंटी को वाद संख्या 7(210)/9/1 आवासीय भूखण्ड सं.11-ए/279 शिवबाड़ी आवासीय योजना, बीकानेर का कुल क्षेत्रफल 254.00वर्गमीटर का आवंटन पत्र क्रमांक 875 दिनांक 28.11.2022को जारी किया गया था। उक्त आवासीय भूखण्ड उप पंजीयन कार्यालय बीकानेर से दिनांक 20.12.2022 से पंजीकृत हैं।

तत्पश्चात मूल आवंटी श्री श्रवण परेवा पुत्र श्री कालूराम ने उक्त आवासीय भूखण्ड का बैचान विक्रय विलेख पत्र के माध्यम से श्री चमन लाल ऐरी पुत्र श्री ओमप्रकाश ऐरी एवम् श्रीमति सोजिया प्रभाकर पत्नि श्री चमन लाल ऐरी को किया गया । उक्त विक्रय विलेख उप पंजीयन कार्यालय बीकानेर से दिनांक 18.5.2023से पंजीकृत है।

श्री चमनलाल ऐरी पुत्र श्री ओमप्रकाश ऐरी एवम् श्रीमति सोजिया प्रभाकर पत्नी श्री चमनलाल ऐरी ने समस्त पंजीयन प्रपत्रों की सत्यापित छायाप्रति, निर्धारित शुल्क की रसीद जमा करवाकर मण्डल रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करने हेतु आवेदन किया है। श्री चमनलाल ऐरी पुत्र श्री ओमप्रकाश ऐरी एवम् श्रीमति सोजिया प्रभाकर पत्नि श्री चमनलाल ऐरी का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज करने की कार्यवाही विचाराधिन है। यदि किसी व्यक्ति/ हितकारी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 10दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत करे अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकार्ड में नाम द ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री चमनलाल ऐरी पुत्र श्री ओमप्रकाश ऐरी एवम् श्रीमति सोजिया प्रभाकर पत्नि श्री चमन लाल ऐरी का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर लिया जाएगा। यदि उक्त आवास में उनके वारिसों एवम् अन्य कोई भी व्यक्ति द्वारा न्यायालय/पुलिस थाना में किसी भी प्रकार का कोई वाद-विवाद पाया गया तो आवंटी स्वयं जिम्मेदार होगा।

सहायक आवासन अधिकारी
राजस्थान आवासन मण्डल
वृत्त बीकानेर

राजस्थान आवासन मण्डल
RAJASTHAN HOUSING BOARD
(राज.आवा.मण्डल अधिनियम 1970 के तहत गठित राज्य सरकार का उपक्रम)
(A State Government Enterprise Constituted Under RHB Act 1970)
वृत-बीकानेर, Circle-Bikaner
क्रमांक:-उआआ/आरएचबी/बीका/2025-26/ 510 दिनांक :- 12/9/2025

आम सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल में श्री श्रवण परेवा पुत्र श्री कालूराम को आवासीय भूखण्ड आवंटन हेतु पंजीकरण करवाया था। आवंटी को वाद संख्या 7(210)/9/1 आवासीय भूखण्ड सं.11-ए/280 शिवबाड़ी आवासीय योजना, बीकानेर का कुल क्षेत्रफल 210.00वर्गमीटर का आवंटन पत्र क्रमांक 875 दिनांक 28.11.2022को जारी किया गया था। उक्त आवासीय भूखण्ड उप पंजीयन कार्यालय बीकानेर से दिनांक 20.12.2022 से पंजीकृत हैं।

तत्पश्चात मूल आवंटी श्री श्रवण परेवा पुत्र श्री कालूराम ने उक्त आवासीय भूखण्ड का बैचान विक्रय विलेख पत्र के माध्यम से श्रीमति बबीता शर्मा पत्नि श्री मनीष भनोत को किया गया । उक्त विक्रय विलेख उप पंजीयन कार्यालय बीकानेर से दिनांक 18.5.2023से पंजीकृत है।

श्रीमति बबीता शर्मा पत्नि श्री मनीष भनोत ने समस्त पंजीयन प्रपत्रों की सत्यापित छायाप्रति, निर्धारित शुल्क की रसीद जमा करवाकर मण्डल रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करने हेतु आवेदन किया है। श्रीमति बबीता शर्मा पत्नि श्री मनीष भनोत का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज करने की कार्यवाही विचाराधिन है। यदि किसी व्यक्ति/ हितकारी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 10दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत करे अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकार्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्रीमति बबीता शर्मा पत्नि श्री मनीष भनोत का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर लिया जाएगा। यदि उक्त आवास में उनके वारिसों एवम् अन्य कोई भी व्यक्ति द्वारा न्यायालय/पुलिस थाना में किसी भी प्रकार का कोई वाद-विवाद पाया गया तो आवंटी स्वयं जिम्मेदार होगा।

सहायक आवासन अधिकारी
राजस्थान आवासन मण्डल
वृत्त बीकानेर

राजस्थान आवासन मण्डल
RAJASTHAN HOUSING BOARD
(राज.आवा.मण्डल अधिनियम 1970 के तहत गठित राज्य सरकार का उपक्रम)
(A State Government Enterprise Constituted Under RHB Act 1970)
वृत-बीकानेर, Circle-Bikaner
क्रमांक:-उआआ/आरएचबी/बीका/2025-26/518 दिनांक :- 12/9/2025

आम सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल में श्री श्रवण परेवा पुत्र श्री कालूराम को आवासीय भूखण्ड आवंटन हेतु पंजीकरण करवाया था। आवंटी को वाद संख्या 7(210)/9/25 आवासीय भूखण्ड सं.1-बी/825 शिवबाड़ी आवासीय योजना, बीकानेर का कुल क्षेत्रफल 210.00वर्गमीटर का आवंटन पत्र क्रमांक 841 दिनांक 17.112022को जारी किया गया था। उक्त आवासीय भूखण्ड उप पंजीयन कार्यालय बीकानेर से दिनांक 29.11.2022 से पंजीकृत हैं।

तत्पश्चात मूल आवंटी श्री श्रवण परेवा पुत्र श्री कालूराम ने उक्त आवासीय भूखण्ड का बैचान विक्रय विलेख पत्र के माध्यम से श्री दामोदार प्रसाद पंचारिया पुत्र श्री हनुमान प्रसाद पंचारिया को किया गया । उक्त विक्रय विलेख उप पंजीयन कार्यालय बीकानेर से दिनांक 31.5.2023से पंजीकृत है।

श्री दामोदार प्रसाद पंचारिया पुत्र श्री हनुमान प्रसाद पंचारिया ने समस्त पंजीयन प्रपत्रों की सत्यापित छायाप्रति, निर्धारित शुल्क की रसीद जमा करवाकर मण्डल रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करने हेतु आवेदन किया है। श्री दामोदार प्रसाद पंचारिया पुत्र श्री हनुमान प्रसाद पंचारिया का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज करने की कार्यवाही विचाराधिन है। यदि किसी व्यक्ति/ हितकारी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 10दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत करे अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकार्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री दामोदार प्रसाद पंचारिया पुत्र श्री हनुमान प्रसाद पंचारिया का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर लिया जाएगा। यदि उक्त आवास में उनके वारिसों एवम् अन्य कोई भी व्यक्ति द्वारा न्यायालय/पुलिस थाना में किसी भी प्रकार का कोई वाद-विवाद पाया गया तो आवंटी स्वयं जिम्मेदार होगा।

सहायक आवासन अधिकारी
राजस्थान आवासन मण्डल
वृत्त बीकानेर

राजस्थान आवासन मण्डल
RAJASTHAN HOUSING BOARD
(राज.आवा.मण्डल अधिनियम 1970 के तहत गठित राज्य सरकार का उपक्रम)
(A State Government Enterprise Constituted Under RHB Act 1970)
वृत-बीकानेर, Circle-Bikaner
क्रमांक:-उआआ/आरएचबी/बीका/2025-26/518 दिनांक :- 12/9/2025

आम सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल में श्री श्रवण परेवा पुत्र श्री कालूराम को आवासीय भूखण्ड आवंटन हेतु पंजीकरण करवाया था। आवंटी को वाद संख्या 7(210)/9/25 आवासीय भूखण्ड सं.1-बी/825 शिवबाड़ी आवासीय योजना, बीकानेर का कुल क्षेत्रफल 210.00वर्गमीटर का आवंटन पत्र क्रमांक 841 दिनांक 17.112022को जारी किया गया था। उक्त आवासीय भूखण्ड उप पंजीयन कार्यालय बीकानेर से दिनांक 29.11.2022 से पंजीकृत हैं।

तत्पश्चात मूल आवंटी श्री श्रवण परेवा पुत्र श्री कालूराम ने उक्त आवासीय भूखण्ड का बैचान विक्रय विलेख पत्र के माध्यम से श्री दामोदार प्रसाद पंचारिया पुत्र श्री हनुमान प्रसाद पंचारिया को किया गया । उक्त विक्रय विलेख उप पंजीयन कार्यालय बीकानेर से दिनांक 31.5.2023से पंजीकृत है।

श्री दामोदार प्रसाद पंचारिया पुत्र श्री हनुमान प्रसाद पंचारिया ने समस्त पंजीयन प्रपत्रों की सत्यापित छायाप्रति, निर्धारित शुल्क की रसीद जमा करवाकर मण्डल रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करने हेतु आवेदन किया है। श्री दामोदार प्रसाद पंचारिया पुत्र श्री हनुमान प्रसाद पंचारिया का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज करने की कार्यवाही विचाराधिन है। यदि किसी व्यक्ति/ हितकारी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 10दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत करे अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकार्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री दामोदार प्रसाद पंचारिया पुत्र श्री हनुमान प्रसाद पंचारिया का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर लिया जाएगा। यदि उक्त आवास में उनके वारिसों एवम् अन्य कोई भी व्यक्ति द्वारा न्यायालय/पुलिस थाना में किसी भी प्रकार का कोई वाद-विवाद पाया गया तो आवंटी स्वयं जिम्मेदार होगा।

सहायक आवासन अधिकारी
राजस्थान आवासन मण्डल
वृत्त बीकानेर

राजस्थान आवासन मण्डल
RAJASTHAN HOUSING BOARD
(राज.आवा.मण्डल अधिनियम 1970 के तहत गठित राज्य सरकार का उपक्रम)
(A State Government Enterprise Constituted Under RHB Act 1970)
वृत-बीकानेर, Circle-Bikaner
क्रमांक:-उआआ/आरएचबी/बीका/2025-26/ 513 दिनांक :- 12/9/2025

आम सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल की सामान्य पंजीकरण योजना 1978 में चालान संख्या 7760 द्वारा रूपये1,800/- जमा करवाकर श्रीमति मनोहरी देवी तंवर पत्नि स्व. श्री मदनलाल तेवर ने आवास आवंटन हेतु पंजीकरण करवाया था। आवंटी को आवास सं. 04-स-8 पवनपुरी योजना, बीकानेर का कुल क्षेत्रफल 90.75 वर्गमीटर का आवंटन पत्र क्रमांक 12009 दिनांक 16.6.1982 को जारी किया गया था। उक्त आवास मण्डल रिकॉर्ड में दिनांक 9.101998 को कन्वेशडी/परिपिज्युल को जारी कर दी गई थी। उक्त आवास उप पंजीयन कार्यालय बीकानेर में दिनांक 13.10.1998 को पंजीकृत हैं।

तत्पश्चात श्रीमति मनोहरी देवी तंवर की मृत्यु दिनांक 13.3.2021 को हो जाने कारण उनके पुत्र श्री शिवदयाल तंवर ने मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार के घोषणा पत्र, समस्त पंजीयन प्रपत्रों की छायाप्रति एवम् निर्धारित शूल्क जमा करा दिया। उक्त आवास श्री शिवदयाल तंवर के नाम वसीयतनामा के माध्यम से किया गया। उक्त वसीयतनामा उप पंजीयन कार्यालय बीकानेर से दिनांक 12.3.2013 से पंजीकृत हैं।

श्री शिवदयाल त्तंवर पुत्र स्व. श्री मदन लाल तंवर ने समस्त पंजीयन प्रपत्रों की सत्यापित छायाप्रति, निर्धारित शुल्क की रसीद जमा करवाकर मण्डल रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करने हेतु आवेदन किया है। श्री शिवदयाल तंवर पुत्र स्व. श्री मदनलाल तंवर का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज करने की कार्यवाही विचाराधिन है। यदि किसी व्यक्ति/ हितकारी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 10दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत करे अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकार्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री शिवदयाल तंवर पुत्र स्व. श्री मदनलाल तंवर का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर लिया जाएगा। यदि उक्त आवास में उनके वारिसों एवम् अन्य कोई भी व्यक्ति द्वारा न्यायालय/पुलिस थाना में किसी भी प्रकार का कोई वाद-विवाद पाया गया तो आवंटी स्वयं जिम्मेदार होगा।

सहायक आवासन अधिकारी
राजस्थान आवासन मण्डल
वृत्त बीकानेर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
क्रमांक : नियम/2025/RajKaj Ref No- सार्वजनिक आपत्ति सूचना दिनांक : 13-9-2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिक्षयशी भूखण्ड वाके चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 48/50 के किला नं. 6,7 में भूखण्ड संख्या का माप 14.9 गुणा 50 फीट के नियमन/पट्टा हेतु आवेदक श्री ताराचन्द्र शर्मा पुत्र रामदेव निवासी गली नं. 09 शिव नगर 3 ई छोटी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री ताराचन्द्र शर्मा पुत्र रामदेव निवासी गली नं. 09 शिव नगर 3 ई छोटी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 48/50 के किला नं. 6,7 भूखण्ड संख्या का माप 14.9 गुणा 50 फीट का नियमन/पट्टा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/पट्टा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। RajKaj Ref No.: 17595064 -सचिव,नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001
क्रमांक :- नियमन/2025/ सार्वजनिक आपत्ति सूचना दिनांक : 13.09.2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित योजना में 04 एमएल मुरब्बा नं. 28 के किला नं. 02 में व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 69 माप 20 इन्टू 70 फीट का नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर द्वारा पट्टा संख्या 5988 दिनांक 31.05.2008 को एच ए इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड जरिये अधिकृत व्यक्ति श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री सागर मल के नाम से जारी किया हुआ है। श्री ईशात कुमार पुत्र श्री प्रदीप कुमार निवासी हनुमान मंदिर के पास, 102 एल ब्लॉक, श्रीगंगानगर द्वारा पंजीकृत बैयनामें दिनांक 23.06.2025 को क्रय कर, स्वामित्व के दस्तावेज एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर न्यास कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी पट्टे, नामान्तरण एवं अन्य दस्तावेजों का समर्पण कर उक्त भूखण्ड का फ्री होल्ड पट्टा पट्टा जारी करने हेतु आवेदन किया है। अतः उक्त के सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति मय सबूत छाया दिनांक से 7 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय के कमरा नं. 17 में प्रस्तुत करें, अन्यथा बाद मियाद गुजरने के उपरान्त आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं शपथ पत्र के आधार पर राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लि